

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-123

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

उज्ज्वल भारत

*123. श्री हरि ओम पाण्डेय:

श्री मनोज तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उज्ज्वल भारत योजना, जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण, शहरी और दूरदराज क्षेत्रों में विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करती है, आरंभ कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस पहल के अंतर्गत नियत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और
- (ग) क्या सरकार का इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यमान निधियन और कार्यान्वयन पैटर्न में आमूल चूल परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"उज्ज्वल भारत" के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 123 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : सरकार द्वारा 'उज्ज्वल भारत स्कीम' नाम से कोई स्कीम शुरू नहीं की गई है। तथापि, भारत सरकार ने वर्ष 2019 तक चौबीसों घंटे सातों दिन सस्ती तथा पर्यावरण के अनुकूल "सभी के लिए विद्युत" प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण (दिनांक 01/04/2015 की स्थिति के अनुसार): दिनांक 22/11/2016 की स्थिति के अनुसार 10,945 गाँवों को विद्युतीकृत किया गया है।
- ii. पर्याप्त उत्पादन, पारेषण क्षमता और वितरण प्रणाली को शामिल करते हुए सभी के लिए चौबीसों घंटे सातों दिन विद्युत हेतु राज्य-विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करना: चौबीसों घंटे सातों दिन सभी के लिए विद्युत के दस्तावेजों पर 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।
- iii. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) नामक स्कीम शुरू करना: इस स्कीम में (क) कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण; (ख) वितरण ट्रांसफार्मरों, फीडरों तथा उपभोक्ताओं के स्तर की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण और संवर्द्धन; तथा (ग) ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था है।
- iv. शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) को शुरू करना: इस स्कीम में (क) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्कों के सुदृढीकरण; (ख) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा (ग) वितरण क्षेत्र को आईटी युक्त बनाना तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण की व्यवस्था है।
- v. विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) का प्रचालनीकरण: पीएसडीएफ का उपयोग (क) कार्यनीतिक महत्व की आवश्यक पारेषण प्रणाली के सृजन; (ख) ग्रिड में वोल्टेज स्थिति के सुधार के लिए शंट कैपेसिटर्स इत्यादि की संस्थापना; (ग) मानक एवं विशेष सुरक्षा स्कीमों की संस्थापना; तथा (घ) संकुलता दूर करने के लिए पारेषण और वितरण प्रणालियों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; आदि के लिए वितरण यूटिलिटीयों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
- vi. उज्ज्वल डिस्कॉम एशयोरेंस योजना (उदय) की शुरुआत करना: यह स्कीम डिस्कॉमों के प्रचालन एवं वित्तीय टर्न-अराउंड के लिए शुरू की जा चुकी है।
- vii. कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:
(क) घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाना;
(ख) कोयले के उपयोग में लचीलापन;
(ग) कोयला लिंकेज का युक्तिकरण।
- viii. वर्ष 2014-16 के दौरान 46,534 मेगावाट की उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है।
- ix. विद्युत उत्पादन, जो वर्ष 2013-14 में 967 बीयू था, वह वर्ष 2014-15 में बढ़कर 1048 बीयू तथा वर्ष 2015-16 में 1107 बीयू हो गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 में ऊर्जा की कमी 2.1% रह गई जोकि अब तक की न्यूनतम कमी है।

- x. वर्ष 2014-16 के दौरान 50,215 सीकेएम पारेषण लाइनें तथा 1,28,403 एमवीए उप-केंद्र क्षमता जोड़ी गई है। दक्षिण भारत की ओर की पारेषण क्षमता, जो वर्ष 2013-14 में 3,450 मेगावाट थी, में 71% की वृद्धि हुई और यह 5,900 मेगावाट तक हो गई है।
- xi. नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर का कार्यान्वयन।

(ग) : सरकार द्वारा शुरू की गई नई स्कीमों का वित्त पोषण पैटर्न इस प्रकार है:

- i. डीडीयूजीजेवाई एवं आईपीडीएस: भारत सरकार का अनुदान - 60% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 85%); यूटिलिटी/राज्य का अंशदान - 10% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 5%); बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण - 30% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10%)। निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान - ऋण घटक का 50%।
- ii. पीएसडीएफ: निधियों की उपलब्धता तथा स्वीकार्यता के अध्यक्षीन, परियोजना लागत के अनुदान की मात्रा गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 75% से 100% तक होती है। पूर्वोत्तर तथा अन्य पर्वतीय राज्यों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड की परियोजनाएं 100% तक के अनुदान की पात्र हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-131

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

भूकंप जोन में जल विद्युत क्षमता

*131.श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जल विद्युत परियोजनाओं से विस्थापित होने के खतरे का सामना करने वाले लोग बड़े पैमाने पर ऐसी परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या भारत की अधिकांश जल विद्युत क्षमता उच्च तीव्रता वाला भूकंप प्रवण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आती है और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;
- (ग) क्या सरकार ऊर्जा सुरक्षा तथा अन्य कारणों के दृष्टिगत नए आंकड़े एकत्र करने के लिए देश में जल विद्युत क्षमता का बेसिन-वार गहन अध्ययन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अध्ययन कब तक कराए जाने की संभावना है; और
- (घ) क्या विगत में भी ऐसा कोई अध्ययन कराया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आकलन किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"भूकंप जोन में जल विद्युत क्षमता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 131 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (एसएंडआई) चरण पर तथा निर्माण चरण, दोनों ही स्तरों पर स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। निर्माणाधीन सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) तथा सर्वेक्षण एवं अन्वेषण चरण पर कुल 6118 मेगावाट क्षमता की 12 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) रूकी हुई हैं।

(ख) : देश में 25 मेगावाट क्षमता से अधिक की कुल अनुमानित 1,45,320 मेगावाट की जल विद्युत संभाव्यता में से, लगभग 50% संभाव्यता, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में तथा उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में है जो भूकंप जोन-V में आती है।

(ग) : सरकार देश की जल विद्युत संभाव्यता की समीक्षा करने की योजना बना रही है जिसका पिछली बार 1978-87 के दौरान पुनः आकलन किया गया था। अतिरिक्त भू-जल विज्ञान, स्थलाकृतिक तथा प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह जल उपयोग से संबंधित अन्य आंकड़ों की उपलब्धता तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिदेशित ई-फ्लो और अन्य पहलुओं के कारण पुनः आकलन किया जाना आवश्यक हो गया है।

(घ) : सीईए द्वारा वर्ष 1978 से 1987 तक, देश में जल विद्युत संभाव्यता के पुनः आकलन अध्ययन करवाए गए थे, जिनके आधार पर, देश में कुल अभिजात की गई जल विद्युत संभाव्यता (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) 1,45,320 मेगावाट आकलित की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1383

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत दक्षता प्रौद्योगिकी संबंधी सम्मेलन

1383. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या हाल ही में विनिर्माण और सीमेंट क्षेत्रों में विद्युत दक्षता प्रौद्योगिकी संबंधी सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रमुख निर्णय लिए गए हैं;
- (ख) क्या सीमेंट कारखानों को ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए सरकार का ध्यान एक विशेष पैकेज छूट के मामले की ओर दिलाया गया है;
- (ग) यदि हां, तो उक्त मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और
- (घ) सीमेंट कारखानों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : नालेज एक्सचेंज प्लेटफार्म (केईपी) जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) तथा औद्योगिक उत्पादकता संस्थान (आईपीपी) की संयुक्त पहल है, तथा ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा समर्थित है, द्वारा 7 से 8 जुलाई, 2016 को नलगोंडा, तेलंगाना सीमेंट उत्पादन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों संबंधी क्षेत्र स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं :-

- सीमेंट उद्योग में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी परिनियोजन की वास्तविक स्थिति
- भारत तथा विदेश में उपलब्ध नवाचार तथा ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियां
- निष्पादन, उपलब्धि तथा व्यापार (पीएटी) योजना के दूसरे चक्र के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के हेतु भारतीय सीमेंट क्षेत्र में अंतर कम करने के लिए प्रौद्योगिकी अंतर मूल्यांकन।
- सीमेंट क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केईपी द्वारा अपनाए जाने हेतु भावी नितियाँ।
- क्षेत्र विषयों तथा क्रास क्षेत्र विषयों और क्षेत्रों जिनमें क्षेत्रीय जानकारी अन्य क्षेत्रों के लिए प्रयोग की जा सकती है, के संबंध में सलाह देना।
- क्षेत्र के अंतर्गत विशेषज्ञों के नेटवर्क में विस्तार करने के लिए सहायता करना।

(ख) : जी नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1399

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत प्रशुल्क

1399. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने इण्डोनेशिया से आयातित कोयले के ज्यादा बिल से विद्युत खर्च की कृत्रिम महंगाई पर कोई जांच प्रारंभ की है;
- (ख) सरकार ने इस अधिक बिल बनाने की अवैध प्रक्रिया जो निर्बाध चल रही है को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;
- (ग) क्या किसी स्वतंत्र सलाहकार के अध्ययन में कुछ प्रमुख कंपनियों में गंभीर धोखाधड़ी पायी गई है;
- (घ) क्या सरकार को विद्युत प्रशुल्क के बिल को बढ़ाकर बनाने की जानकारी है क्योंकि विद्युत प्रशुल्क में कृत्रिम वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डाला जाता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 से 64 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विद्युत विनियामक आयोगों को उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के कार्य सौंपे गए हैं। केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों का प्रशुल्क केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि राज्यों के भीतर उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए प्रशुल्क राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत यदि उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंस को इसकी आपूर्ति की जाती है तो उपयुक्त आयोग प्रशुल्क का निर्धारण करता है जबकि अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत यदि ऐसे प्रशुल्क का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है तो उपयुक्त आयोग प्रशुल्क अपनाता है। उत्पादन कंपनी तथा वितरण कंपनियों के बीच संबंध विद्युत क्रय करारों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। इसलिए, इस संबंध में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ग) से (ङ) : राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इंडोनेशिया से आयातित कोयले के संबंध में बिल को बढ़ाकर भेजने के दृष्टांत उनके ध्यान में आए हैं और फील्ड फार्मेशनों को उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। पूर्व में किए गए आयातों की जांच की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1405

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

यूडीएवाई (उदय) पर बैठक

1405. श्री गुत्था सुकेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या योजना को लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के विचारों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना की कोई बैठक हुई है;
- (ख) उक्त बैठक के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) तेलंगाना के डिस्कॉम की लोन आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब तक निर्धारित एवं जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय एवं प्रचालनात्मक टर्नअराउंड के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों (एफआई) एवं विभिन्न राज्य सरकारों सहित पणधारक के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना (उदय) तैयार की गई थी।

उदय योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले राज्यों के निष्पादन की सूक्ष्म निगरानी सुनिश्चित करने के लिए निगरानी समिति गठित की गई है। निगरानी समिति की अंतिम बैठक 03.11.2016 को आयोजित की गई थी। समिति ने बाण्ड जारी करने, प्रचालन संबंधी आवश्यकता के लिए बैंक वित्तपोषण, प्रशुल्क संबंधी मामले तथा राज्यों द्वारा उठाए गए अन्य मामलों सहित सहभागी राज्यों के प्रचालनात्मक और वित्तीय प्राचलों की समीक्षा की।

(ग) : तेलंगाना सरकार ने उदय के अंतर्गत अब तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1415

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब

1415. श्री देवजीभाई गोविंदभाई फतेपारा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गुजरात के ऊर्जा उत्पादक युटिलिटी अर्थात् जीएसईसीएल, नया विद्युत संयंत्र और वर्तमान ऊर्जा संयंत्रों की आर एंड एम परियोजनाएं भारत सरकार के उपक्रम अर्थात् मैसर्स भेल को सोपी गई हैं। और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या मैसर्स भेल कोई भी परियोजना निर्धारित समय पर कार्यान्वित नहीं कर पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या गुजरात सरकार ने मैसर्स भेल द्वारा ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देशी संबंधी मुद्दा उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या अन्य राज्य भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) से प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित नए विद्युत संयंत्र और वर्तमान विद्युत संयंत्रों की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाएं मैसर्स भेल, जोकि भारत सरकार का एक उपक्रम है, को सोपी गई हैं:

- i. उकाई ताप विद्युत स्टेशन, गुजरात में यूनिट संख्या 1 और 2 की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना।
- ii. उकाई ताप विद्युत स्टेशन, गुजरात में 500 मेगावाट विस्तार यूनिट संख्या 6।

- iii. सिक्का ताप विद्युत स्टेशन, गुजरात में 2x250 मेगावाट विस्तार यूनिट संख्या 3 और 4।
- iv. वानकबोरी टीपीएस, गुजरात की 1x800 मेगावाट विस्तार यूनिट संख्या 8।
- v. उकाई यूनिट संख्या 3 और 4 की नियंत्रण प्रणाली का उन्नयन।
- vi. उकाई टीपीएस की यूनिट 4 के बॉयलर बैक पास और एपीएच में संशोधन के माध्यम से उपलब्धता और दक्षता सुधार।
- vii. वानकबोरी टीपीएस की यूनिट संख्या 3 के बॉयलर बैक पास और एपीएच में संशोधन के माध्यम से उपलब्धता और दक्षता सुधार।
- viii. वानकबोरी टीपीएस की यूनिट संख्या 1, 2 तथा 3 और उकाई टीपीएस की यूनिट संख्या 5 की ईएसपी की रेट्रोफिटिंग।

(ख) : भेल ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए निर्धारित पूर्णता समय में परियोजना को निष्पादित नहीं किया है:

- i. उकाई यूनिट संख्या 1 की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना
- ii. उकाई यूनिट संख्या 2 की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना
- iii. उकाई 1x500 मेगावाट यूनिट संख्या 6
- iv. सिक्का टीपीएस 2x250 मेगावाट यूनिट संख्या 3 और 4

ब्यौर निम्नवत् है:

लक्ष्य	कार्य शुरू होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि
उकाई यूनिट-1 का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	06.09.2006	05.04.2007	24.05.2008 (सिंक्रोनाइज्ड)- 13 महीने का विलम्ब
उकाई यूनिट-2 का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य	12.08.2008	11.03.2009	24.02.2010 (सिंक्रोनाइज्ड)- 11 महीने का विलम्ब
उकाई 1x500 मेगावाट यूनिट संख्या 6	06.10.2007	05.02.2011 (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) (सीओडी)	06.07.2014 (सीओडी)- 41 महीने का विलम्ब
सिक्का टीपीएस 2x250 मेगावाट यूनिट संख्या 3 और 4	यूनिट-3: 10.07.2011 यूनिट-4: 10.07.2011	यूनिट-3: 10.10.2013 (सीओडी) यूनिट-4: 10.01.2014 (सीओडी)	यूनिट-3: 14.09.2015 (सीओडी)-23 महीने का विलम्ब यूनिट-4: 27.12.2015 (सीओडी)-23 महीने का विलम्ब

(ग) : गुजरात सरकार ने भेल द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब किए जाने से संबंधित मामलों को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के साथ तथा साथ ही, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में आयोजित होने वाली विभिन्न समीक्षा बैठकों में उठाया है।

(घ) : अन्य राज्यों में भेल द्वारा निष्पादित किए जा रहे नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजना कार्यों सहित बहुत सी ताप विद्युत परियोजनाओं में भी विलम्ब हुआ है।

(ङ) : निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करवाए जाने के लिए, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) बार-बार स्थल का दौरा करके तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करने के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन करता है और परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित करता है और इनका निपटारा करने में मदद करता है।
- अवरोध वाले क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर्मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों के तेजी से समाधान को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नियमित रूप से समीक्षा भी की जाती है।
- निर्माणाधीन ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) बनाया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1433
जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

सभी को बिजली

1433. श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में 300 मिलियन से अधिक लोगों की इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड तक पहुंच नहीं है और वे पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और
- (ख) सरकार द्वारा भविष्य में सभी को बिजली प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, देश के 1678 लाख ग्रामीण घरों में से 750 लाख ग्रामीण घर गैर-विद्युतीकृत थे। तत्पश्चात्, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 की स्थिति के अनुसार, 249.89 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को ग्रामीण विद्युतीकरण संघटक सहित, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कनेक्शन जारी किए गए हैं।

सभी को विद्युत प्रदान करने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकार का होता है। तथापि, भारत सरकार ने दिसम्बर, 2014 में डीडीयूजीजेवाई शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत, सभी गाँवों को विद्युत की पहुँच प्रदान करने तथा सभी को विद्युत पहुँच प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना का सृजन करने की परिकल्पना है। "सभी के लिए विद्युत" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से राज्यों को विद्युत की उपलब्धता, अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की पर्याप्तता, अंतः-राज्य पारेषण प्रणाली और वितरण अवसंरचना की, राज्यों से परामर्श करके, समीक्षा की जाती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1437

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

आईपीडीएस में वित्तपोषण की प्रक्रिया

1437. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में समेकित ऊर्जा विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और वित्तपोषण की प्रक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आईपीडीएस के अंतर्गत कवर किए जाने वाले शहरों की प्रस्तावित राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा किए जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत सरकार ने दिनांक 20.11.2014 को 32,612 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय तथा 25,354 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता से एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, तत्कालीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) को आईपीडीएस में समाहित किया गया है तथा 12वीं एवं 13वीं योजना की 22,727 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित 44,011 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय को नई स्कीम आईपीडीएस में अग्रेषित किया जा चुका है।

इस स्कीम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करना है। आईपीडीएस के मुख्य संघटक निम्नलिखित हैं :

- शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण ;
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत शुरू किया जा रहा वितरण क्षेत्र की आईटी युक्त बनाना तथा वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण।

स्कीम का वित्तपोषण पैटर्न अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) : आईपीडीएस के अंतर्गत कुल 4041 पात्र नगरों का राज्य-वार सार अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : आईपीडीएस में, अवार्ड पत्र जारी करने की तिथि से 24 माह की अवधि के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने की व्यवस्था है।

लोकसभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1437 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषण पैटर्न

एजेंसी	सहायता का स्वरूप	सहायता की मात्रा (परियोजना लागत की प्रतिशतता)	
		विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा अन्य राज्य	विशेष श्रेणी के राज्य
भारत सरकार	अनुदान	60	85
डिस्कॉम का अंशदान	स्वयं की निधि	10	5
ऋणदाता (वित्तीय संस्थान/बैंक/डिस्कॉम की स्वयं की निधि)	ऋण/स्वयं की निधि	30	10
निर्धारण लक्ष्य हासिल करने पर भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान	अनुदान	कुल ऋण/स्वयं की निधि (30%) का 50% अर्थात् 15%	कुल ऋण/स्वयं की निधि (10%) का 50% अर्थात् 5%
भारत सरकार द्वारा अधिकतम अनुदान (निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर अतिरिक्त अनुदान सहित)	अनुदान	75%	90%

* डिस्कॉम द्वारा न्यूनतम अंशदान 10% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 5%) होगा। तथापि, यदि डिस्कॉम ऋण नहीं लेना चाहते हैं तो उनका अंशदान 40% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 15%) तक हो सकता है। यदि डिस्कॉम ऋण नहीं लेते हैं तो निर्धारित लक्ष्य हासिल करने पर अधिकतम पात्र अतिरिक्त अनुदान तब भी 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 5%) ही रहेगा। ऋण घटक पीएफसी अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

तत्कालीन आर-एपीडीआरपी में शामिल कार्यों का वित्तपोषण पैटर्न अपरिवर्तनीय रहेगा।

टिप्पणी : भारत सरकार द्वारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की मिसिंग लिंक लगाने, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, सीईए में राष्ट्रीय विद्युत आंकड़ा केंद्र की स्थापना तथा परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) संबंधी कार्यकलापों पर आए व्यय के लिए स्कीम के प्रावधान के अनुसार, 100% अनुदान दिया जाएगा।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1437 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के अंतर्गत पात्र नगरों का राज्य-वार सारांश		
क्रम सं.	राज्य/यूटी	नगरों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
2	आंध्र प्रदेश	83
3	अरुणाचल प्रदेश	26
4	असम	88
5	बिहार	139
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	168
8	दादर व नागर हवेली	1
9	दमन व दीव	2
10	दिल्ली	3
11	गोवा	14
12	गुजरात	195
13	हरियाणा	80
14	हिमाचल प्रदेश	56
15	जम्मू व कश्मीर	86
16	झारखंड	40
17	कर्नाटक	220
18	केरल	59
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	364
21	महाराष्ट्र	256
22	मणिपुर	28
23	मेघालय	10
24	मिजोरम	23
25	नागालैंड	19
26	ओडिशा	107
27	पुडुचेरी	6
28	पंजाब	143
29	राजस्थान	185
30	सिक्किम	8
31	तमिलनाडु	721
32	त्रिपुरा	16
33	उत्तर प्रदेश	648
34	उत्तराखंड	74
35	पश्चिम बंगाल	129
36	तेलंगाना	42
कुल		4041

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1445

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

पी.एस.डी.एफ.

1445. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार का विद्युत तंत्र विकास निधि से देश के विभिन्न विद्युत संयंत्रों के लिए राजसहायता प्रदान करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केन्द्र सरकार का पी.एस.डी.एफ. से राजसहायता की सुविधा के माध्यम से 3.87 रुपये की परिवर्ती लागत पर उन विद्युत संयंत्रों से विद्युत प्रदान करने का उपाय करने का विचार है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) लक्ष्य तक स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 और 2016-17 में स्पॉट पुनःगैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) आयात करने के लिए एक स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता के लिए व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पीएसडीएफ से सहायता के लिए परिव्यय क्रमशः 3500 करोड़ रुपए और 4000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इन उद्देश्यों के लिए आयात की जा रही इनक्रीमेन्टल आरएलएनजी पर लागू करों और उपकरों/शुल्क से छूट के जरिए केन्द्र और राज्य सरकारों सहित सभी पणधारकों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाला अधित्याग इस स्कीम में परिकल्पित है।

(ग) : वर्तमान में, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1469

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत स्थिति के संबंध में राज्यों को सलाह

1469. कुँवर सर्वेश कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विद्युत स्थिति को सुधारने हेतु आगामी कुछ महीनों में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने हेतु उपयुक्त कदम उठाने के लिये राज्य सरकारों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। मांग-आपूर्ति में सन्तुलन बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए राज्य के भीतर विद्युत आपूर्ति का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार ने "सभी के लिए 24x7 विद्युत" की योजना के लिए राज्य के साथ एक संयुक्त पहल की है। 36 में से 34 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए इस प्रकार की योजना तैयार की गई है। राज्यों ने अपने उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों की पर्याप्तता वाली सभी गतिविधियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।

केन्द्र सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती हैं। राज्य भी विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बाजार से विद्युत का क्रय कर सकते हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1475

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए कोयले की ढुलाई

1475. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का ताप विद्युत संयंत्रों तक अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए कोयले की ढुलाई करने का विचार है, ताकि ताप विद्युत उत्पादन की लागत में कमी की जा सके, चूंकि जलमार्ग परिवहन, सड़क और रेल परिवहन की तुलना में सस्ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हां। एनटीपीसी ने कोयले की ढुलाई की व्यवहार्य अनुपूरक प्रणाली के रूप में अंतर्देशीय जलमार्ग का प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु इनलैण्ड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (आईडब्ल्यूएआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। तत्पश्चात, एनटीपीसी ने अपने फरक्का विद्युत संयंत्र को अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से आयातित कोयले की ढुलाई हेतु दिनांक 11.08.2011 को आईडब्ल्यूएआई और प्रचालकों, जिन्हें प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया गया था, के साथ त्रिपक्षीय करार (टीपीए) किया।

(ग) : उपर्युक्त (क) और (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1491

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु में विद्युत आपूर्ति

1491. श्री आर.पी. मरुदराजा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को चौबीसों घंटे (24x7) विद्युत उपलब्ध कराने हेतु तमिलनाडु सरकार के साथ कोई कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) इस संबंध में जिन वित्तीय रुकावटों का सामना किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है और उक्त हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : केन्द्र सरकार ने राज्य नीति के अनुसार सभी घरों/आवासों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सभी के लिए 24X7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध करवाने और कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए, राज्य विशिष्ट योजना तैयार करने के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक संयुक्त पहल की है। सभी के लिए 24X7 विद्युत संबंधी प्रारूप तमिलनाडु के लिए अंतिम रूप दिए गए, कार्य योजना दस्तावेज के लिए तमिलनाडु सरकार की सहमति प्राप्त होनी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1494

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

स्वदेश में निर्मित विद्युत उपकरणों का संवर्धन

1494. श्री रामदास सी. तडसः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में घरेलू कंपनियों के संवर्धन हेतु आयात शुल्क की समीक्षा करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का विचार चीन से विद्युत उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से विद्युत उपकरणों का आयात किया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

उच्च ब्याज दरों, स्थानीय करों तथा अवसंरचनात्मक अपर्याप्तताओं के कारण घरेलू विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग द्वारा झेली जा रही असुविधाओं की क्षतिपूर्ति करने और विदेशी विक्रेताओं की तुलना में घरेलू विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग के लिए समान अवसर सृजित करने तथा इस अत्यावश्यक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में, भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सभी श्रेणियों के आयातित उपकरणों, पर समान रूप से लागू किए जाने के लिए 5% की दर से सीमा शुल्क, 12% की दर से सीवीडी (यथा लागू एवं समय-समय पर घरेलू उद्योग के उत्पाद शुल्क के समान) तथा 4% की दर से एसएडी लगाया है। सरकार ने दिनांक 19.07.12 को प्रस्ताव अनुमोदित किया तथा राजस्व विभाग ने दिनांक 10.09.2012 को इसे अधिसूचित किया। इस प्रकार से, सभी नई विद्युत परियोजनाओं को आयातित उपकरणों पर शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) और (ग) : लगाया जाने वाला उपर्युक्त उल्लिखित आयात शुल्क देश-विशिष्ट नहीं होता और चीन सहित, किसी भी देश से विद्युत उपकरणों के आयात पर समान शुल्क लगेगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1502

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

बिहार में विद्युत संयंत्र

1502. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार में वर्तमान में विद्युत उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा क्या है और ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है जो कि कार्यशील नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार राज्य के विद्युत संकट से निपटने हेतु राज्य में नए विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा इन विद्युत संयंत्रों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : बिहार में विद्युत उत्पादक इकाइयों के ब्यौरे तथा जो इकाइयां कार्यशील नहीं हैं, उनके ब्यौरे अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : बिहार में निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन स्टेशनों के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, उत्पादन एक लाइसेंस-रहित कार्य है। तदनुसार, उत्पादन स्टेशनों का निर्माण संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा किया जाता है। तथापि, इन विद्युत संयंत्रों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- i. उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की अग्रिम आयोजना।
- ii. संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्कर की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन।
- iii. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के लिए मैसर्स अल्स्टॉम तथा सुपर क्रिटिकल टर्बाइन जेनरेटरों के लिए मैसर्स सीमेंस के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और अपनी विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन प्रारंभ किया है एवं 20,000 मेगावाट/वर्ष (बड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए 13,500 मेगावाट) की निर्माण क्षमता हासिल की है। भेल के अतिरिक्त, सुपर क्रिटिकल बॉयलरों तथा टर्बाइन के विनिर्माण के लिए देश में कई संयुक्त उद्यम (जेवी) स्थापित किए गए हैं और संयुक्त उद्यमों द्वारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर के लिए लगभग 16,000 मेगावाट/वर्ष एवं सुपर क्रिटिकल टर्बाइन जेनरेटर के लिए 15,000 मेगावाट/वर्ष की निर्माण क्षमता परिकल्पित है।
- iv. विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1502 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बिहार में विद्युत उत्पादन इकाइयों का ब्यौरा:

स्टेशन	इकाइयों की संख्या	स्टेशन क्षमता (मेगावाट)	क्षेत्र	यूटिलिटी
बाढ़ II	2	2x660	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.
कहलगाँव टीपीएस	7	4x210+3x500	केंद्रीय	एनटीपीसी लि.
मुजफ्फरपुर टीपीएस	3	2x110+1x195	केंद्रीय	केबीयूएनएल*
नबी नगर टीपीपी	1	1x250	केंद्रीय	बीआरबीसीएल**
बरौनी टीपीएस	2	2x105	राज्य	बीएसईबी***
कुल	15	4535		

* कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड

** भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड

*** बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

जो इकाइयां उत्पादन नहीं कर रही हैं, उनके कारणों सहित ब्यौरा:

स्टेशन	इकाई	क्षमता (मेगावाट)	बंदी की तिथि	बंदी का समय (घंटे)	बंदी का कारण
बरौनी टीपीएस	6	105	17 मार्च, 12	1315	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर टीपीएस	3	195	31 मार्च, 15	1943	इकाई का स्थिरीकरण किया जा रहा है।
नबी नगर टीपीपी	1	250	20 मार्च, 16	1959	इकाई का स्थिरीकरण किया जा रहा है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1502 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

बिहार में निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन स्टेशनों का ब्यौरा:

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	मुजफ्फरपुर विस्तार (कांटी टीपीपी)	1x195=195
2	बाढ़ एसटीपीपी-I	3x660=1980
3	नबीनगर टीपीपी	3x250=750
4	न्यू नबीनगर टीपीपी	3x660=1980
5	बरौनी टीपीएस विस्तार	2x250=500
6	जस इंफ्रा. टीपीपी	4x660=2640
कुल	16 इकाइयां	8095

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1506

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

बीबीएमबी द्वारा स्वचालित गेज रिकॉर्डर

1506. श्री मानशंकर निनामा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बीबीएमबी ने स्वीकृत स्थलों पर स्वचालित गैज रिकॉर्डर की स्थापना के बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि नहीं, तो क्या केंद्र सरकार स्वीकृत स्थलों पर स्वचालित गेज रिकॉर्डरों की शीघ्रता से स्थापना करने पर विचार कर रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : बीबीएमबी ने दिनांक 21.10.2011 को आयोजित अपनी 208वीं बैठक में ऑटोमैटिक गेज रिकार्डर्स (एजीआर) की संस्थापना के लिए 22 साइटों को अंतिम रूप दिया था जिन पर सहभागी राज्यों द्वारा परस्पर सहमति दी गई है। 21 साइटों पर एजीआर की संस्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा औपचारिक तौर पर उपयोग में लाने से पहले 19 साइटों के रिकार्डिड आंकड़े पुष्टिकरण तथा जांच के अधीन हैं। रोपड़ ताप विद्युत संयंत्र साइट जिसे छोड़ दिया गया था, पर ऑटोमैटिक गेज रिकार्डर्स की संस्थापना को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1528

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

एलईडी

1528. श्री जोस के. मणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जैसा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेन्सी के द्वारा पाया गया है, देश ने एलईडी तक पहुंच में व्यापक रूप से सुधार करने की दृष्टि से इसकी कीमतों को काफी कम करते हुये अत्यंत बेहतर प्रदर्शन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इंटरनेशनल एनर्जी एजेन्सी देश के साथ एलईडी कार्यक्रम को, इंडोनेशिया में भारतीय मॉडल को अपनाकर, वैश्विक बनाने के लिये साझेदारी कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या एलईडी की कीमतें तेजी से गिरी हैं तथा 2014 में 310 रुपये प्रति म्द से मार्च 2016 में 55 रुपये प्रति म्द हो गई है जबकि इसकी उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा बढ़ी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 5 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के अधीन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल), जो कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) की संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो पहलें अर्थात् घरेलू दक्षता प्रकाश कार्यक्रम (डीईएलपी) और सड़क प्रकाश राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) की शुरुआत की गई है। जिसमें क्रमशः घरेलू प्रकाश और सड़क की लाइटों को एलईडी से बदल दिया गया है। ईईएसएल ने एक नया व्यावसायिक मॉडल तैयार किया है जिसमें इनके द्वारा इन कार्यक्रमों में समग्र निवेश किया जाता है और ऊर्जा बचतों से कुछ समय पर निवेश वापस दिया जाता है। इससे इस कार्यक्रम के लिए किसी सरकारी वित्तपोषण की आवश्यकता आवश्यक नहीं रहती। इस स्कीम में सब्सिडी का कोई घटक नहीं है और माँग तथा थोक खरीद के औसत से 310/-रुपए (फरवरी, 2014) से 38/-रुपए (अगस्त,

2016) तक एलईडी बल्बों की खरीद कीमतों में लगभग 88% तक की कमी आई है जिसे उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाता है।

दिनांक 21.11.2016 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति नीचे दी गई है :-

मानदंड	डीईएलपी	एसएलएनपी
बदले गए बल्बों/स्ट्रीट लाइटों की कुल संख्या	17.89 करोड़	14.45 लाख
बचाई गई क्षमता उत्पादन	4649 मेगावाट	47.69 मेगावाट
बचत की गई ऊर्जा	23.2 बिलियन केडब्ल्यूएच/वर्ष	512959 बिलियन केडब्ल्यूएच/दिन
कार्बन फुट प्रिंट में कमी	18.8 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड/वर्ष	435 टन कार्बनडाई ऑक्साइड/दिन

एलईडी कार्यक्रम को वैश्विक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) और भारत सरकार/ईईएसएल के बीच कोई भागीदारी नहीं है। तथापि, आईईए इन्डोनेशिया सहित विभिन्न देशों में अपनी सफलता पर जोर दे रहा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1532

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में निधियों की आवश्यकता

1532. श्री शरद त्रिपाठी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 2014 से 2019 तक विद्युत क्षेत्र में निधियों की आवश्यकता का कोई आंकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने देश के विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पूर्ववर्ती योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) दस्तावेज के अनुसार विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रक्षेपित निवेश क्रमशः 15,01,666 करोड़ रूपए और 3,18,626 करोड़ रूपए था। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा गठित वित्त पोषण अवसंरचना संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट (जून, 2014) में 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संशोधित प्रक्षेपित निवेश को क्रमशः 9,08,463 करोड़ रूपए और 1,70,628 करोड़ रूपए दर्शाया था।

(ख) और (ग) : औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर 'संचित एफडीआई नीति' अधिसूचित करता है जिसमें विद्युत क्षेत्र भी शामिल है।

विद्युत क्षेत्र में एफडीआई के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धनीय विभाग द्वारा जून, 2016 में अधिसूचित वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा के सिवाय), पारेषण, वितरण एवं व्यवसाय की परियोजनाओं के लिए ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% एफडीआई की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार ने नीति में निर्धारित कुछ शर्तों के अध्यधीन ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत एक्सचेंजों में 49% तक की एफडीआई की अनुमति भी प्रदान की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1536

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

1536. श्री अरविंद सावंत:

श्रीमती रेखा वर्मा:

श्री गोपाल शेटी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में इष्टतम घंटों और गैर-इष्टतम घंटों के दौरान विद्युत की प्रति व्यक्ति माँग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में विद्युत की माँग को विभिन्न स्रोतों से विद्युत के उत्पादन को ध्यान में रखकर किया गया है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने अगले पाँच वर्षों में देश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : व्यस्ततम अवधि के दौरान अखिल भारत और राज्य-वार वार्षिक विद्युत की मांग और आपूर्ति तथा ऊर्जा की आवश्यकता और उपलब्धता, जिसमें विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष में व्यस्ततम अवधि के साथ-साथ गैर-व्यस्ततम अवधि भी शामिल है, के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारत और राज्य-वार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : जी हाँ।

(घ) और (ङ) : आगामी पांच वर्षों में देश के सभी हिस्सों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 88,928.2 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की गई तथा 30 सितम्बर, 2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 21,128 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्टूबर, 2016 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन की तुलना में 1,00,468 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,88,458 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पूरी की गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडरों को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय बदलाव के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडेड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक योजना की शुरुआत की है।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1536 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

अप्रैल-अक्तूबर, 2016* के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,135	1,135	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	21,666	21,639	-27	-0.1	6,342	6,261	-81	-1.3
हरियाणा	32,179	32,179	0	0.0	9,262	9,262	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	5,142	5,113	-29	-0.6	1,342	1,342	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	9,737	7,929	-1,808	-18.6	2,480	2,102	-378	-15.2
पंजाब	37,557	37,557	0	0.0	11,408	11,408	0	0.0
राजस्थान	38,538	38,351	-187	-0.5	9,906	9,906	0	0.0
उत्तर प्रदेश	65,677	64,217	-1,460	-2.2	17,183	15,501	-1,682	-9.8
उत्तराखंड	7,943	7,899	-44	-0.6	2,020	1,972	-48	-2.4
उत्तरी क्षेत्र	219,575	216,020	-3,555	-1.6	53,372	52,612	-760	-1.4
छत्तीसगढ़	14,724	14,671	-53	-0.4	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	62,059	62,059	0	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	35,799	35,798	-1	0.0	8,832	8,832	0	0.0
महाराष्ट्र	80,875	80,838	-37	0.0	20,499	20,462	-37	-0.2
दमन व दीव	1,434	1,434	0	0.0	327	327	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	3,620	3,620	0	0.0	784	784	0	0.0
गोवा	2,857	2,855	-2	-0.1	497	496	-1	-0.3
पश्चिमी क्षेत्र	201,368	201,278	-90	0.0	46,123	46,090	-33	-0.1
आंध्र प्रदेश	31,471	31,435	-36	-0.1	7,969	7,965	-4	-0.1
तेलंगाना	29,538	29,532	-6	0.0	8,284	8,284	0	0.0
कर्नाटक	37,114	36,828	-286	-0.8	9,980	9,567	-413	-4.1
केरल	14,107	14,084	-23	-0.2	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	63,324	63,313	-11	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुचेरी	1,545	1,544	-1	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षद्वीप#	28	28	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	177,100	176,734	-366	-0.2	41,298	41,259	-39	-0.1
बिहार	16,025	15,766	-259	-1.6	3,843	3,638	-205	-5.3
डीवीसी	10,829	10,775	-54	-0.5	2,686	2,686	0	0.0
झारखंड	4,673	4,662	-11	-0.2	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	16,243	16,241	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	30,916	30,813	-103	-0.3	7,881	7,881	0	0.0
सिक्किम	270	270	0	0.0	153	112	-41	-26.8
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह#	140	105	-35	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	78,958	78,527	-431	-0.5	18,642	18,596	-46	-0.2
अरुणाचल प्रदेश	407	397	-10	-2.5	148	140	-8	-5.4
असम	5,730	5,481	-249	-4.3	1,673	1,633	-40	-2.4
मणिपुर	418	399	-19	-4.5	152	151	-1	-0.7
मेघालय	970	970	0	0.0	311	311	0	0.0
मिजोरम	278	270	-8	-2.9	95	95	0	0.0
नागालैंड	438	429	-9	-2.1	130	130	0	0.0
त्रिपुरा	861	845	-16	-1.9	284	284	0	0.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	9,099	8,785	-314	-3.5	2,487	2,475	-12	-0.5
अखिल भारत	686,099	681,346	-4,753	-0.7	159,542	156,934	-2,608	-1.6

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का भाग नहीं है।

* अक्तूबर 2016- अंतिम आंकड़े

2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,607	1,607	0	0	342	342	0	0
दिल्ली	29,626	29,583	-43	-0.1	5,846	5,846	0	0.0
हरियाणा	47,506	47,437	-69	-0.1	9,113	9,113	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,821	8,758	-63	-0.7	1,488	1,488	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,572	14,037	-2,535	-15.3	2,544	2,158	-386	-15.2
पंजाब	49,687	49,675	-12	0.0	10,852	10,852	0	0.0
राजस्थान	67,417	67,205	-212	-0.3	10,961	10,961	0	0.0
उत्तर प्रदेश	106,351	93,033	-13,318	-12.5	16,988	14,503	-2,485	-14.6
उत्तराखंड	12,889	12,675	-214	-1.7	2,034	2,034	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	340,476	324,009	-16,467	-4.8	54,474	50,622	-3,852	-7.1
छत्तीसगढ़	25,649	25,309	-340	-1.3	3,932	3,757	-175	-4.5
गुजरात	103,544	103,540	-4	0.0	14,495	14,448	-47	-0.3
मध्य प्रदेश	62,374	62,374	0	0.0	10,902	10,902	0	0.0
महाराष्ट्र	141,817	141,361	-456	-0.3	20,973	20,594	-379	-1.8
दमन व दीव	2,337	2,337	0	0.0	307	307	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	5,925	5,925	0	0.0	740	740	0	0.0
गोवा	5,120	5,119	-1	0.0	583	552	-31	-5.3
पश्चिमी क्षेत्र	346,768	345,966	-802	-0.2	48,640	48,199	-441	-0.9
आंध्र प्रदेश	50,436	50,366	-70	-0.1	7,400	7,391	-9	-0.1
तेलंगाना	50,254	49,948	-306	-0.6	6,854	6,849	-5	-0.1
कर्नाटक	64,302	60,971	-3,331	-5.2	10,202	9,508	-694	-6.8
केरल	23,318	23,194	-124	-0.5	3,977	3,856	-121	-3.1
तमिलनाडु	97,276	96,586	-690	-0.7	14,190	14,171	-19	-0.1
पुडुचेरी	2,437	2,429	-8	-0.3	368	352	-16	-4.3
लक्षद्वीप	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	288,025	283,494	-4,531	-1.6	40,030	39,875	-155	-0.4
बिहार	23,961	23,659	-302	-1.3	3,735	3,484	-251	-6.7
झारखंड	18,437	18,234	-203	-1.1	2,814	2,794	-20	-0.7
झारखंड	7,735	7,561	-174	-2.2	1,153	1,153	0	0.0
ओडिशा	26,762	26,600	-162	-0.6	4,091	4,091	0	0.0
पश्चिम बंगाल	47,359	47,194	-165	-0.3	7,905	7,885	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	109	109	0	0.0
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	124,654	123,646	-1,008	-0.8	18,169	18,056	-113	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	626	591	-35	-5.6	139	135	-4	-2.9
असम	8,762	8,272	-490	-5.6	1,491	1,378	-113	-7.6
मणिपुर	840	810	-30	-3.6	168	167	-1	-0.6
मेघालय	1,833	1,725	-108	-5.9	400	377	-23	-5.8
मिजोरम	471	455	-16	-3.4	102	101	-1	-1.0
नागालैंड	755	739	-16	-2.1	140	138	-2	-1.4
त्रिपुरा	1,202	1,146	-56	-4.7	300	269	-31	-10.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14,488	13,735	-753	-5.2	2,573	2,367	-206	-8.0
अखिल भारत	1,114,408	1,090,850	-23,558	-2.1	153,366	148,463	-4,903	-3.2

2014-15 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता	व्यस्ततम उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	1,616	1,616	0	0	367	367	0	0
दिल्ली	29,231	29,106	-125	-0.4	6,006	5,925	-81	-1.3
हरियाणा	46,615	46,432	-183	-0.4	9,152	9,152	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,807	8,728	-79	-0.9	1,422	1,422	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	16,214	13,119	-3,095	-19.1	2,554	2,043	-511	-20.0
पंजाब	48,629	48,144	-485	-1.0	11,534	10,023	-1,511	-13.1
राजस्थान	65,717	65,310	-407	-0.6	10,642	10,642	0	0.0
उत्तर प्रदेश	103,179	87,062	-16,117	-15.6	15,670	13,003	-2,667	-17.0
उत्तराखंड	12,445	12,072	-373	-3.0	1,930	1,930	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	332,453	311,589	-20,864	-6.3	51,977	47,642	-4,335	-8.3
छत्तीसगढ़	21,499	21,230	-269	-1.3	3,817	3,638	-179	-4.7
गुजरात	96,235	96,211	-24	0.0	13,603	13,499	-104	-0.8
मध्य प्रदेश	53,374	53,082	-292	-0.5	9,755	9,717	-38	-0.4
महाराष्ट्र	134,897	133,078	-1,819	-1.3	20,147	19,804	-343	-1.7
दमन व दीव	2,086	2,086	0	0.0	301	301	0	0.0
दादरा व नागर हवेली	5,307	5,304	-3	-0.1	714	714	0	0.0
गोवा	3,969	3,932	-37	-0.9	501	489	-12	-2.4
पश्चिमी क्षेत्र	317,367	314,923	-2,444	-0.8	44,166	43,145	-1,021	-2.3
आंध्र प्रदेश	59,198	56,313	-2,885	-4.9	7,144	6,784	-360	-5.0
तेलंगाना	43,337	40,644	-2,693	-6.2	7,884	6,755	-1,129	-14.3
कर्नाटक	62,643	59,926	-2,717	-4.3	10,001	9,549	-452	-4.5
केरल	22,459	22,127	-332	-1.5	3,760	3,594	-166	-4.4
तमिलनाडु	95,758	92,750	-3,008	-3.1	13,707	13,498	-209	-1.5
पुडुचेरी	2,402	2,376	-26	-1.1	389	348	-41	-10.5
लक्षद्वीप	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	285,797	274,136	-11,661	-4.1	39,094	37,047	-2,047	-5.2
बिहार	19,294	18,759	-535	-2.8	2,994	2,874	-120	-4.0
डीवीसी	18,222	17,728	-494	-2.7	2,653	2,590	-63	-2.4
झारखंड	7,599	7,390	-209	-2.8	1,075	1,055	-20	-1.9
ओडिशा	26,482	26,052	-430	-1.6	3,920	3,892	-28	-0.7
पश्चिम बंगाल	47,086	46,827	-259	-0.6	7,544	7,524	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	83	83	0	0.0
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	119,082	117,155	-1,927	-1.6	17,040	16,932	-108	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	677	610	-67	-9.9	139	126	-13	-9.4
असम	8,527	7,926	-601	-7.0	1,450	1,257	-193	-13.3
मणिपुर	705	678	-27	-3.8	150	146	-4	-2.7
मेघालय	1,930	1,634	-296	-15.3	370	367	-3	-0.8
मिजोरम	455	425	-30	-6.6	90	88	-2	-2.2
नागालैंड	688	661	-27	-3.9	140	128	-12	-8.6
त्रिपुरा	1,242	1,048	-194	-15.6	310	266	-44	-14.2
पूर्वांचल क्षेत्र	14,224	12,982	-1,242	-8.7	2,528	2,202	-326	-12.9
अखिल भारत	1,068,923	1,030,785	-38,138	-3.6	148,166	141,160	-7,006	-4.7

2013-14 के लिए विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/सिस्टम/क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता		ऊर्जा उपलब्धता		अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम आवश्यकता		व्यस्ततम उपलब्धता		अधिशेष/कमी(-)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)				
चंडीगढ़	1,574	1,574	0	0	345	345	0	0				
दिल्ली	26,867	26,791	-76	-0.3	6,035	5,653	-382	-6.3				
हरियाणा	43,463	43,213	-250	-0.6	8,114	8,114	0	0.0				
हिमाचल प्रदेश	9,089	8,883	-206	-2.3	1,561	1,392	-169	-10.8				
जम्मू व कश्मीर	15,613	12,187	-3,426	-21.9	2,500	1,998	-502	-20.1				
पंजाब	47,821	47,084	-737	-1.5	10,089	8,733	-1,356	-13.4				
राजस्थान	58,202	58,042	-160	-0.3	10,047	10,038	-9	-0.1				
उत्तर प्रदेश	94,890	81,613	-13,277	-14.0	13,089	12,327	-762	-5.8				
उत्तराखंड	11,944	11,493	-451	-3.8	1,826	1,826	0	0.0				
उत्तरी क्षेत्र	309,463	290,880	-18,583	-6.0	45,934	42,774	-3,160	-6.9				
छत्तीसगढ़	18,932	18,800	-132	-0.7	3,365	3,320	-45	-1.3				
गुजरात	88,497	88,488	-9	0.0	12,201	12,201	0	0.0				
मध्य प्रदेश	49,410	49,385	-25	-0.1	9,716	9,716	0	0.0				
महाराष्ट्र	126,288	123,672	-2,616	-2.1	19,276	17,621	-1,655	-8.6				
दमन व दीव	2,252	2,252	0	0.0	322	297	-25	-7.8				
दादरा व नागर हवेली	5,390	5,388	-2	0.0	661	661	0	0.0				
गोवा	3,890	3,871	-19	-0.5	529	529	0	0.0				
पश्चिमी क्षेत्र	294,659	291,856	-2,803	-1.0	41,335	40,331	-1,004	-2.4				
आंध्र प्रदेश	95,662	89,036	-6,626	-6.9	14,072	13,162	-910	-6.5				
कर्नाटक	64,150	58,052	-6,098	-9.5	9,940	9,223	-717	-7.2				
केरल	21,577	21,052	-525	-2.4	3,671	3,573	-98	-2.7				
तमिलनाडु	93,508	87,980	-5,528	-5.9	13,522	12,492	-1,030	-7.6				
पुडुचेरी	2,344	2,320	-24	-1.0	351	333	-18	-5.1				
लक्षद्वीप#	48	48	0	0	9	9	0	0				
दक्षिणी क्षेत्र	277,245	258,444	-18,801	-6.8	39,015	36,048	-2,967	-7.6				
बिहार	15,391	14,759	-632	-4.1	2,465	2,312	-153	-6.2				
डीवीसी	17,407	17,296	-111	-0.6	2,745	2,745	0	0.0				
झारखंड	7,143	7,007	-136	-1.9	1,111	1,069	-42	-3.8				
ओडिशा	24,958	24,546	-412	-1.7	3,727	3,722	-5	-0.1				
पश्चिम बंगाल	42,891	42,762	-129	-0.3	7,325	7,294	-31	-0.4				
सिक्किम	413	413	0	0.0	90	90	0	0.0				
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह#	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20				
पूर्वी क्षेत्र	108,203	106,783	-1,420	-1.3	15,888	15,598	-290	-1.8				
अरुणाचल प्रदेश	552	517	-35	-6.3	125	124	-1	-0.8				
असम	7,544	7,062	-482	-6.4	1,329	1,220	-109	-8.2				
मणिपुर	579	548	-31	-5.4	134	133	-1	-0.7				
मेघालय	1,794	1,604	-190	-10.6	343	330	-13	-3.8				
मिजोरम	446	430	-16	-3.6	84	82	-2	-2.4				
नागालैंड	577	561	-16	-2.8	109	106	-3	-2.8				
त्रिपुरा	1,195	1,144	-51	-4.3	254	250	-4	-1.6				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	12,687	11,866	-821	-6.5	2,164	2,048	-116	-5.4				
अखिल भारत	1,002,257	959,829	-42,428	-4.2	135,918	129,815	-6,103	-4.5				

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

टिप्पणी : व्यस्ततम आपूर्ति और ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) को दर्शाते हैं। निवल आयात की गणना आयात की खपत के लिए की गई है।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1536 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट घंटा)

(केडब्ल्यूएच)

राज्य/यूटी	2013-14	2014-15	2015-16
चंडीगढ़	1133	1052	1112
दिल्ली	1446	1561	1557
हरियाणा	1773	1909	1936
हिमाचल प्रदेश	1348	1336	1339
जम्मू व कश्मीर	1066	1169	1234
पंजाब	1810	1858	1919
राजस्थान	1011	1123	1164
उत्तर प्रदेश	472	502	524
उत्तराखंड	1285	1358	1431
छत्तीसगढ़	1601	1719	2022
गुजरात	1973	2105	2248
मध्य प्रदेश	764	813	929
महाराष्ट्र	1183	1257	1318
दमन व दीव	8003	6960	7836
दादरा व नागर हवेली	14515	13769	15137
गोवा	2198	1803	2738
आंध्र प्रदेश	1196	1040	1230
तेलंगाना		1356	1439
कर्नाटक	1179	1211	1242
केरल	645	672	704
तमिलनाडु	1544	1616	1688
पुडुचेरी	1692	1655	1672
लक्षद्वीप	665	657	649
बिहार	160	203	258
झारखंड	810	835	884
ओडिशा	1349	1419	1564
पश्चिम बंगाल	609	647	660
सिक्किम	700	685	687
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	368	361	355
अरुणाचल प्रदेश	503	525	600
असम	280	314	322
मणिपुर	266	295	360
मेघालय	684	704	835
मिजोरम	445	449	503
नागालैंड	259	311	346
त्रिपुरा	331	303	329
अखिल भारत	957	1010	1075

टिप्पणी: प्रतिव्यक्ति खपत=(सकल ऊर्जा उत्पादन+निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1539

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)

1539. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या विदेशी कंपनियों ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन में निवेश किया है/निवेश करना आरंभ किया है; और
- (ग) यदि हां, तो निवेश की गई राशि का राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत क्षेत्र में निवेश की मात्रा पर बिना किसी ऊपरी सीमा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण एवं व्यापार में 100% विदेशी इक्विटी के लिए ऑटोमेटिक अनुमोदन (आरबीआई रूट) की अनुमति दी गई है। भारत सरकार ने सीईआरसी विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत एक्सचेंजों के लिए 16.07.2015 को "ऑटोमेटिक रूट" के माध्यम से 49% (एफडीआई + एफपीआई (एफआईआई, क्यूएफआई + एनआरआई + एफवीसीआई) के रूप में एफडीआई कैप संशोधित किया है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, सोरांग एचईपी (100 मेगावाट), जिस पर पूर्व में एनसीसी ग्रुप तथा आईएल एंड एफएस ग्रुप (2:1 के अनुपात में) का स्वामित्व था, वर्ष 2014 में मैसर्स टीएक्यूए इंडिया पावर वेंचर्स लि., जो अबुधाबी नेशनल एनर्जी कंपनी, पीजेएससी (टीएक्यूए) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, द्वारा अधिगृहीत की गई है। परियोजना की स्थिति **अनुबंध-I** पर दी गई है। सीईए में उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में चालू/निर्माणाधीन कुछ ताप विद्युत परियोजनाओं, जिनमें 12वीं योजना के दौरान विदेशी निकाय/संगठन परियोजना विकासकर्ताओं के रूप में संबद्ध हैं, का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग) : निवेश की गई राशि के राज्य-वार तथा कंपनी-वार आंकड़े सीईए/विद्युत मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1539 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सोरांग जल विद्युत परियोजना की स्थिति

क्रम सं.	परियोजना निष्पादन एजेंसी का नाम/सीईए स्वीकृति/अनुमोदन की तिथि क्षमता (मेगावाट)	राज्य चालू होने का समय (मूल/अब अनुमानित)	लागत (रुपए करोड़ में)
1	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर कारपोरेशन लि. जून, 2016/ 2x50= 100 मेगावाट	हिमाचल प्रदेश (एच.पी.) (2012-13) 2017-18	मूल: 586.00 नवीनतम: 586.00

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1539 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

12वीं योजना के दौरान परियोजना विकासकर्ता के रूप में सहयोगी विदेशी निकायों/संगठनों के साथ देश में चालू की गई/निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा											
क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम/कार्यान्वयन एजेंसी/ईपीसी या बीटीजी	परियोजना विकासकर्ता और इन्विटी सहभागिता	एलओए तिथि/	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का वास्तविक (ए)/अनुमानित समय	ईंधन	मूल लागत लाख में (रुपए)	अनंतिम अनुमानित लागत (रुपए)
चालू की गई											
1	महाराष्ट्र	मानगांव सीसीपीपी/पीजी पीएल/टाटा परियोजना लि.	पायोनियर जेनरेशन पावर लि. (60%) और कोरियन वेस्टर्न पावर कं. लि. (40%) (विदेशी कंपनी)	दिसं-11	मॉड्यूल-1	388	दिसं-13	14-07-2016(ए)	गैस	123300	177616
2	आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी/टीपीसीआ ईएल/बीटीसी-चाइनीज	सेम्बकॉर्प यूटिलिटीज पीटीई. लि., सिंगापुर (86.87%) (विदेशी कंपनी) और गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि. (13.13%)	फर.-11	यू-1	660	मई-14	07-02-2015(ए)	कोयला	686900	686900
				मई-11	यू-2	660	अग.-14	03-09-2015(ए)			
निर्माणाधीन											
3	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी/ओपीजी सीएल/बीटीजी-भेल	ओडिशा पावर जेनरेशन कारपो. लि. (ओपीजीसीएल) (51%) और एप्लाइड एनर्जी सर्विसेज (ईईएस) कारपो. लि. (49%) (विदेशी कंपनी)	मार्च-14	यू-3	660	अग.-17	दिसं-17	कोयला	11965	11965
					यू-4	660	जन.-18	जून-18			
4	एपी	एसजीपीएल टीपीपी/सेम्बकॉर्प गायत्री पावर लि./बीटीजी-चाइनीज	सेम्बकॉर्प यूटिलिटीज पीटीई. लि. (87.98%) सिंगापुर (विदेशी कंपनी) और एनसीसी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स लि. (12.02%)	फर.-12	यू-1	660	मार्च-15	12-11-2016(ए)	कोयला	704600	704600
					यू-2	660	जून-15	फर.-17			

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1556

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा

1556. श्री पंकज चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राज्य में कार्यरत विभिन्न विद्युत वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा निर्धारित कार्यनिष्पादन मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 के अंतर्गत विद्युत विनियामक आयोग द्वारा देश में प्रभावित विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रभावित विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत विनियामक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त मुआवजे का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बार-बार बिजली जाने, कम वोल्टेज विद्युत आपूर्ति, ट्रांसफार्मर के जलने और उन्हें बदलने में विलंब तथा त्रुटिपूर्ण पारेषण लाइन के कारण हानि तथा उच्च वोल्टेज के कारण घरेलू उपकरणों के जलने से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 में कोई और संशोधन/प्रावधान करने का प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त आयोग लायसेंसी के निष्पादन के मानक अथवा लायसेंसियों के वर्ग का निर्धारण कर सकता है। इस अधिनियम में, उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन न किए जाने के मामले में लायसेंसी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान की भी व्यवस्था है। अधिनियम के संबंधित प्रावधान अनुबंध में हैं। विनियामक मंच (एफओआर) सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, इन प्रावधानों के अनुसरण में, अधिकतर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) ने निर्धारित निष्पादन मानकों को पूरा न किए जाने से प्रभावित व्यक्तियों को वितरण लायसेंसी द्वारा दण्ड भरने/क्षतिपूर्ति किए जाने सहित निष्पादन के मानक अधिसूचित कर दिए हैं। चूंकि विद्युत वितरण संबंधित राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आता है तथा एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा नियंत्रित होता है, अतः केंद्र सरकार की इसकी कार्य-प्रणाली में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।

(ग) और (घ) : जैसा कि उल्लेख किया गया है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 57 के अंतर्गत पहले से ही प्रावधान मौजूद हैं और इस प्रकार, विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों में, इस संबंध में आगे किसी संशोधन/प्रावधान का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1556 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विद्युत अधिनियम, 2003 के संबंधित प्रावधान

धारा 57 :

- (1) समुचित आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों और ऐसे व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना है, परामर्श करने के पश्चात किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग के लिए निष्पादन के मानक विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (2) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में असफल रहता है तो ऐसी शास्ति, जो अधिरोपित की जाए या ऐसा अभियोजन जो आरंभ किया जाए, पर प्रतिकूल डाले बिना, वह प्रभावित व्यक्ति को ऐसा प्रतिकर देने के लिए दायी होगा, जो समुचित आयोग द्वारा अवधारित किया जाए :

परंतु प्रतिकर का अवधारण करने से पूर्व संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।
- (3) उपधारा (2) के अधीन अवधारित प्रतिकर ऐसे अवधारण से नब्बे दिन के भीतर संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1568

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

1568. श्री अनंत कुमार हेगड़े:

श्री आलोक संजर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन की राज्य-वार मात्रा कितनी है;
- (ख) वर्ष 2014-15 एवं 2013-14 के दौरान कोयले एवं गैस से विद्युत उत्पादन की राज्य-वार प्रमात्रा सहित विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य एवं किए गए विद्युत उत्पादन का विवरण क्या है;
- (ग) गत वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2016-17 के दौरान देश में कार्यान्वित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और
- (घ) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त लंबित परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राज्यवार संस्थापित क्षमता तथा वर्ष 2015-16 के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित विद्युत की वास्तविक मात्रा **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) : कोयला और गैस से उत्पादित विद्युत की मात्रा सहित वर्ष 2014-15 और 2013-14 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्य **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) : वर्ष 2015-16 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि/समाप्ति/अप-रेशन का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान 13440.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 29 थर्मल स्टेशनों के शुरू होने की संभावना है जिनमें से 3608.5 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 9 परियोजनाएं दिनांक 31.10.2016 तक पहले ही शुरू की जा चुकी हैं जबकि 1949 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 13 हाइड्रो स्टेशनों के शुरू होने की संभावना है जिनमें से 320 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 5 परियोजनाएं दिनांक 31.10.2016 तक पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

(घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में देश में नए ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कुल 7,165 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 12 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में जाँचाधीन है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। झेलम तमक और बोवाला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है। इन परियोजनाओं को सहमति जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एण्ड जीआर) की अधिकारप्राप्त समिति की ई-प्रवाह संबंधी रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् प्रदान की जाएगी।

शेष जल विद्युत परियोजनाओं को, यथासंभव सभी दृष्टियों से पूर्ण डीपीआर के 25 सेट प्रस्तुत करने/विकासकर्ता से सीईए द्वारा पूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकृत होने की तारीख से 150 (एक सौ पचास) कार्य दिवसों (सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई/सीएसएमआरएस आदि के अवलोकनों के अनुपालन के लिए विकासकर्ता द्वारा लिए गए समय को छोड़कर) की अवधि के भीतर सहमति प्रदान की जाएगी।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य-वार संस्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन

राज्य	श्रेणी	ईंधन	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
बीबीएमबी	हाइड्रो		2866.3	11818.9
दिल्ली	थर्मल	कोयला	840	2288.04
		प्राकृतिक गैस	2208.4	3918.06
दिल्ली कुल			3048.4	6206.1
हरियाणा	थर्मल	कोयला	5980	21146.5
		प्राकृतिक गैस	431.59	1100.64
हरियाणा कुल			6411.59	22247.14
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो		6597.02	27087.49
जम्मू व कश्मीर	थर्मल		175	0
	हाइड्रो		3119	15136.15
जम्मू व कश्मीर कुल			3294	15136.15
पंजाब	थर्मल		6550	19015.05
	हाइड्रो		1051	4327.84
पंजाब कुल			7601	23342.89
राजस्थान	थर्मल	कोयला	6260	32882.92
		लिग्नाइट	1580	8776.53
		प्राकृतिक गैस	1023.13	2834.86
	थर्मल कुल		8863.13	44494.31
	हाइड्रो		411	1033.8
	न्यूक्लियर		1180	8419.24
राजस्थान कुल			10454.13	53947.35
उत्तर प्रदेश	थर्मल	कोयला	19063	102450.54
		प्राकृतिक गैस	1493.14	4511.31
	थर्मल कुल		20556.14	106961.85
	हाइड्रो		501.6	935.08
	न्यूक्लियर		440	3432.6
उत्तर प्रदेश कुल			21497.74	111329.53
उत्तराखंड	हाइड्रो		3756.35	12765.92
छत्तीसगढ़	थर्मल		19488	89189.99
	हाइड्रो		120	323.3
छत्तीसगढ़ कुल			19608	89513.29
गोवा	थर्मल	नापथा	48	0
गुजरात	थर्मल	कोयला	14672	81254.47
		लिग्नाइट	1040	6126.79
		प्राकृतिक गैस	7695.41	12555.98
	थर्मल कुल		23407.41	99937.24

राज्य	श्रेणी	ईंधन	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
	हाइड्रो		1990	2951.85
	न्यूक्लियर		440	2028.17
गुजरात कुल			25837.41	104917.26
मध्य प्रदेश	थर्मल		17065	90870.68
	हाइड्रो		2395	4869.82
मध्य प्रदेश कुल			19460	95740.5
महाराष्ट्र	थर्मल	कोयला	23626	96855.01
		प्राकृतिक गैस	3072	5299.91
	थर्मल कुल		26698	102154.92
	हाइड्रो		2887	4700.37
	न्यूक्लियर		1400	10389.14
महाराष्ट्र कुल			30985	117244.43
आंध्र प्रदेश	थर्मल	कोयला	9670	52023.75
		डीजल	36.8	0
		प्राकृतिक गैस	4880.4	5535.51
	थर्मल कुल		14587.2	57559.26
	हाइड्रो		1100	671.33
आंध्र प्रदेश कुल			15687.2	58230.59
कर्नाटक	थर्मल	कोयला	6280	32401.17
		डीजल	234.42	0
	थर्मल कुल		6514.42	32401.17
	हाइड्रो		3657.4	7479.37
	न्यूक्लियर		880	7672.71
कर्नाटक कुल			11051.82	47553.25
केरल	थर्मल	डीजल	234.6	146.84
		नापथा	533.58	142.75
	थर्मल कुल		768.18	289.59
	हाइड्रो		1881.5	6363.75
केरल कुल			2649.68	6653.34
पुडुचेरी	थर्मल	प्राकृतिक गैस	32.5	227.59
तमिलनाडु	थर्मल	कोयला	9370	44371.67
		लिग्नाइट	3240	19341.12
		डीजल	411.7	76.23
		नापथा	120	8.72
		प्राकृतिक गैस	907.18	2663.06
	थर्मल कुल		14048.839	66460.8
	हाइड्रो		2182.2	4474.27
	न्यूक्लियर		1440	5471.76
तमिलनाडु कुल			17671.04	76406.83
तेलंगाना	थर्मल		6082.5	35352.73
	हाइड्रो		2656.6	1515.47
तेलंगाना कुल			8739.1	36868.2
अंडमान व निकोबार	थर्मल	डीजल	40.05	182.85
बिहार	थर्मल	कोयला	4535	20827.01
डीवीसी	थर्मल	कोयला	7900	27853.42
		प्राकृतिक गैस	90	0
	थर्मल कुल		7990	27853.42

राज्य	श्रेणी	ईंधन	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (एमयू)
	हाइड्रो		143.2	176.51
डीवीसी कुल			8133.2	28029.93
झारखंड	थर्मल कुल		3140	15882.43
	हाइड्रो		130	51.24
झारखंड कुल			3270	15933.67
ओडिशा	थर्मल		8880	52311.46
	हाइड्रो		2142.25	4910.34
ओडिशा कुल			11022.25	57221.8
सिक्किम	हाइड्रो		765	3551.92
पश्चिम बंगाल	थर्मल	कोयला	9601.38	44921.29
		हाई स्पीड डीजल	100	0
	थर्मल कुल		9701.38	44921.29
	हाइड्रो		1189	2025.33
पश्चिम बंगाल कुल			10890.38	46946.62
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो		405	1280.25
असम	थर्मल	कोयला	250	117.12
		प्राकृतिक गैस	591.7	3214.32
		बहु ईंधन	60	0
	थर्मल कुल		901.7	3331.44
	हाइड्रो		300	1190.68
असम कुल			1201.7	4522.12
मणिपुर	थर्मल कुल		36	0
	हाइड्रो		105	536.64
मणिपुर कुल			141	536.64
मेघालय	हाइड्रो		357	1035.99
नागालैंड	हाइड्रो		75	163.14
त्रिपुरा	थर्मल	प्राकृतिक गैस	1106.6	5109.38

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2014-15 और 2013-14 के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि

राज्य	श्रेणी	ईंधन	2014-15		2013-14	
			लक्ष्य (एमयू)	उत्पादन (एमयू)	लक्ष्य (एमयू)	उत्पादन (एमयू)
बीबीएमबी	हाइड्रो		9275	10599.78	9665	12125.01
दिल्ली	थर्मल	कोयला	5050	3704.75	5400	4526.37
		प्राकृतिक गैस	4000	5018.08	4432	4111.3
	थर्मल कुल		9050	8722.83	9832	8637.67
दिल्ली कुल			9050	8722.83	9832	8637.67
हरियाणा	थर्मल	कोयला	28028	27177.18	34521	24642.35
		प्राकृतिक गैस	1600	1571.43	2010	1731.87
	थर्मल कुल		29628	28748.61	36531	26374.22
हरियाणा कुल			29628	28748.61	36531	26374.22
हिमाचल प्रदेश	हाइड्रो		22667	23319.13	21612	21680.66
जम्मू व कश्मीर	हाइड्रो		12597	14485.02	12927	12426.79
पंजाब	थर्मल	कोयला	22910	18921.83	19597	16817.97
	हाइड्रो		3938	4039.07	3920	3913.52
पंजाब कुल			26848	22960.9	23517	20731.49
राजस्थान	थर्मल	कोयला	31318	32759.78	23146	25777.92
		लिग्नाइट	7043	9089.71	7172	6010.48
		प्राकृतिक गैस	2650	3750.71	3585	3769.85
	थर्मल कुल		41011	45600.2	33903	35558.25
	हाइड्रो		535	863.33	562	1059.98
	न्यूक्लियर		7645	7722.39	7778	9233.13
राजस्थान कुल			49191	54185.92	42243	45851.36
उत्तर प्रदेश	थर्मल	कोयला	105713	103569.23	100714	102705.93
		प्राकृतिक गैस	5000	4194.28	7080	5191.85
	थर्मल कुल		110713	107763.51	107794	107897.78
	हाइड्रो		1112	1247.69	1006	1241.73
	न्यूक्लियर		2834	2890.54	2886	2703.5
उत्तर प्रदेश कुल			114659	111901.74	111686	111843.01
उत्तराखंड	हाइड्रो		11680	11439.22	11905	11025.01
छत्तीसगढ़	थर्मल	कोयला	77974	79452.39	68832	70678.61
	हाइड्रो		250	258.18	250	251.51
छत्तीसगढ़ कुल			78224	79710.57	69082	70930.12
गोवा	थर्मल	नापथा	254	12.61	254	241.32
गुजरात	थर्मल	कोयला	79180	84968.56	71441	74375.3
		लिग्नाइट	6815	6258.01	6567	5813.03
		प्राकृतिक गैस	5140	6970.99	10696	6151.64
	थर्मल कुल		91135	98197.56	88704	86339.97
	हाइड्रो		4301	3811.58	3831	7106.29

राज्य	श्रेणी	ईंधन	2014-15		2013-14	
			लक्ष्य (एमयू)	उत्पादन (एमयू)	लक्ष्य (एमयू)	उत्पादन (एमयू)
	न्यूक्लियर		3116	3529.4	3282	3752.43
गुजरात कुल			98552	105538.54	95817	97198.69
मध्य प्रदेश	थर्मल	कोयला	59327	68912.72	48467	50430.94
	हाइड्रो		6030	6299.75	6374	9215.93
मध्य प्रदेश कुल			65357	75212.47	54841	59646.87
महाराष्ट्र	थर्मल	कोयला	81274	87035.78	82368	72507.42
		प्राकृतिक गैस	5950	4715.66	3791	6052.95
	थर्मल कुल		87224	91751.44	86159	78560.37
	हाइड्रो		5337	5287.88	5388	6255.03
	न्यूक्लियर		7940	10269.89	9081	9884.54
महाराष्ट्र कुल			100501	107309.21	100628	94699.94
आंध्र प्रदेश	थर्मल	कोयला	39959	40821.87	38509	38256.22
		डीजल	0	0	0	0
		प्राकृतिक गैस	4421	2561.07	3856	5244.06
	थर्मल कुल		44380	43382.94	42365	43500.28
	हाइड्रो		1886	1862.48	1860	2026.57
आंध्र प्रदेश कुल			46266	45245.42	44225	45526.85
कर्नाटक	थर्मल	कोयला	31249	30540.83	30120	29774.22
		डीजल	0	0	37	24.41
	थर्मल कुल		31249	30540.83	30157	29798.63
	हाइड्रो		12763	13160.29	11751	13026.82
	न्यूक्लियर		5607	6462.17	5778	6539.06
कर्नाटक कुल			49619	50163.29	47686	49364.51
केरल	थर्मल	डीजल	180	207.69	400	220.88
		नापथा	350	973.83	655	1320.74
	थर्मल कुल		530	1181.52	1055	1541.62
	हाइड्रो		6849	6852.65	6589	7708.18
केरल कुल			7379	8034.17	7644	9249.8
पुडुचेरी	थर्मल	प्राकृतिक गैस	242	102.14	230	256.97
तमिलनाडु	थर्मल	कोयला	35054	35818.52	24276	28299.38
		लिग्नाइट	19479	20155.96	19261	20416.18
		डीजल	1195	1045.97	1450	1451.39
		नापथा	0	2.85	0	0.85
		प्राकृतिक गैस	3950	4109.01	2750	4933.02
	थर्मल कुल		59678	61132.31	47737	55100.82
	हाइड्रो		5061	5058.95	4656	4994.75
	न्यूक्लियर		8158	5227.15	6395	2115.13
तमिलनाडु कुल			72897	71418.41	58788	62210.7
तेलंगाना	थर्मल	कोयला	34857	36501.05	35477	34650.71
	हाइड्रो		4702	4400.92	4257	4502.16
तेलंगाना कुल			39559	40901.97	39734	39152.87
			215962	215865.4	198307	205761.7
अंडमान व निकोबार	थर्मल	डीजल	150	153.76	100	171.49
बिहार	थर्मल	कोयला	17215	18272.27	15810	14939.36
बिहार कुल			17215	18272.27	15810	14939.36
डीवीसी	थर्मल	कोयला	33497	25283.81	33300	27889.66
	हाइड्रो		218	267.3	283	225.63

राज्य	श्रेणी	ईंधन	2014-15		2013-14	
			लक्ष्य (एमयू)	उत्पादन (एमयू)	लक्ष्य (एमयू)	उत्पादन (एमयू)
डीवीसी कुल			33715	25551.11	33583	28115.29
झारखंड	थर्मल	कोयला	15460	14588.15	14419	14235.65
	हाइड्रो		128	33.73	160	109.53
झारखंड कुल			15588	14621.88	14579	14345.18
ओडिशा	थर्मल	कोयला	39815	44412.95	37022	38664.74
	हाइड्रो		5913	6919.49	5991	7547.45
ओडिशा कुल			45728	51332.44	43013	46212.19
सिक्किम	हाइड्रो		3469	3345.29	3378	2945.38
पश्चिम बंगाल	थर्मल	कोयला	46338	47592.21	49852	44674.32
	हाइड्रो		1498	2149.81	1720	1395.56
पश्चिम बंगाल कुल			47836	49742.02	51572	46069.88
			163701	163018.77	162035	152798.77
अरुणाचल प्रदेश	हाइड्रो		1200	1109.48	1250	980.94
असम	थर्मल	कोयला				
		प्राकृतिक गैस	2968	3267.95	2995	3149.27
		बहु ईंधन	0	0	0	0
	थर्मल कुल		2968	3267.95	2995	3149.27
	हाइड्रो		1154	1031.89	1070	1215.95
असम कुल			4122	4299.84	4065	4365.22
मणिपुर	हाइड्रो		520	372.44	500	639.84
मेघालय	हाइड्रो		987	863.15	1131	981.61
नागालैंड	हाइड्रो		227	165.15	227	245.71
त्रिपुरा	थर्मल	प्राकृतिक गैस	2998	3824.44	2145	2366.49
भूटान (आयात)	हाइड्रो		4800	5007.74	4800	5597.9

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2015-16 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि/समाप्ति/अप-रेशन का ब्यौरा

कार्यकलाप	हाइड्रो	थर्मल				न्यूक्लियर	कुल (2+6+7)
		भाप	डीजल	गैस	कुल (थर्मल) (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल अभिवृद्धि	1516	20915	0	1546	22461	0	23977
समाप्ति/कार्यनिवृत्ति	0	-400	-206	-100	-706	0	-706
अप-रेशन	0	22	0	1	23	0	23
निवल अभिवृद्धि	1516	20537	-206	1446	21777	0	23293

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सीईए में जांच के अधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

(31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	जल विद्युत परियोजना	राज्य	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	क्वार एचईपी	जम्मू व कश्मीर	सीवीपीपी	540
2	स्वालकोट एचईपी	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	1856
3	जेलम टमक एचईपी	उत्तराखंड	टीएचडीसीआईएल	108
4	बोवाला नंद प्रयाग एचईपी	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	300
5	डगमारा एचईपी	बिहार	बीएसएचपीसीएल	130
6	उम्नगोट एचईपी	मेघालय	एमसीपीजीसीएल	210
7	सुबानसिरी मिडिल (कमला) एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	केएचईपीसीएल	1800
8	अट्टुनली एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	एएचईपीसीएल	680
9	लोकटक डी/एस एचईपी	मणिपुर	एलडीएचसीएल	66
10	मागो चू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	एसएमसीपीसीएल	96
11	किरथई-II एचईपी	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीसी	930
12	दुगर एचईपी	हिमाचल प्रदेश	डीएचपीएल	449
	कुल			7165

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1569

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

वितरण और वाणिज्यिक क्षति के संबंध में प्रायोगिक अध्ययन

1569. श्री सी. गोपालकृष्णनः

श्री फिरोज वरुण गांधीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने तकनीकी और पारेषणगत घाटे को व्यापारिक घाटे से अलग करने के लिए कोई प्रायोगिक अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त प्रायोगिक अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इससे क्या आंकड़े प्राप्त किए गए और कुल तकनीकी एवं पारेषणगत घाटा कितना है;
- (ग) यदि नहीं, तो इस प्रायोगिक अध्ययन किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और
- (घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त घाटे को अधिकतम संभव सीमा तक कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ। एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के प्रचालनीकरण की नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) ने समग्र सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (एटीएण्डसी) से वाणिज्यिक हानियों को पृथक करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन करवाया है।

(ख) और (ग) : यह अध्ययन नवम्बर, 2015 से फरवरी, 2016 तक दस नगरों अर्थात् शिमला (हिमाचल प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), देहरादून (उत्तराखण्ड), भटपारा (छत्तीसगढ़), कोलकाता यूए (पश्चिम बंगाल), पंचकुला (हरियाणा), हैदराबाद यूए (तेलंगाना), विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा अहमदाबाद (गुजरात) में करवाया गया। मौसमी भिन्नताओं का प्रभाव न्यूनतम करने के लिए विगत 12 महीनों की संचयी एटीएण्डसी हानियों के आंकड़े लिए गए थे। अध्ययन के परिणामों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) : वितरण नेटवर्क में एटीएण्डसी हानियों में कमी करने का प्राथमिक दायित्व डिस्कॉमों तथा विद्युत विभागों/यूटिलिटीयों का होता है। तथापि, एटीएण्डसी हानियों में कमी करने तथा विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार लाने को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की हैं जैसे कि एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)। शहरी तथा ग्रामीण फीडर ऊर्जा आंकड़ों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर डालने पर भी बल दिया गया है ताकि हानि के क्षेत्रों की सरलता से पहचान की जा सके।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1569 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वाणिज्यिक हानियों से तकनीकी और वितरण हानियों के आंकड़े पृथक करने का अध्ययन परिणाम

नगर	अनुमानित वाणिज्यिक हानियां (लगभग)	अनुमानित तकनीकी हानियां (लगभग)	एटीएण्डसी हानियां (नवंबर 14-अक्तूबर, 15)
अहमदाबाद	1.14%	3.80%	4.94%
नवी मुम्बई	1.16%	4.05%	5.21%
विशाखापट्टनम	4.56%	4.15%	8.71%
पंचकूला	12.09%	6.27%	18.36%
हैदराबाद	12.16%	5.75%	17.91%
कोलकाता	15.90%	2.62%	18.52%
देहरादून	23.01%	6.70%	29.71%
भोपाल	30.50%	7.71%	38.21%
शिमला	36.91%	3.16%	40.07%
भटपारा	36.38%	2.68%	29.06%

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1575

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है।

यू.एम.पी.पी. से को विद्युत का आवंटन

1575. श्री बी.एस. येदियुरप्पा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में स्थापित होने वाले अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स से उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा के आवंटन हेतु कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य सहित, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स से अतिरिक्त ऊर्जा का अनुरोध किया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं। तथापि, यूएमपीपी से विद्युत का आवंटन राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। 50% तक विद्युत राज्य जिसमें यूएमपीपी स्थित है, के अग्रणी प्रापक को आवंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त किसी विशिष्ट क्षेत्र में परियोजना की स्थान-स्थिति, पारेषण अवसंरचना की उपलब्धता, स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में साम्या अंशदान उस विशिष्ट राज्य को विद्युत के आवंटन के अनुपात के आधार पर विद्युत का आवंटन किया जाता है।

सफल बोलीदाता को परियोजना अवार्ड करने पर विद्युत प्रापक राज्यों के डिस्कॉमों और सफल बोलीदाता (विकासकर्ता) के बीच विद्युत क्रय करार (पीपीए) हस्ताक्षरित किया जाता है।

(ख) से (घ) : बिहार और देवघर यूएमपीपी से अतिरिक्त विद्युत के लिए विद्युत आवंटन हेतु गुजरात, हरियाणा, केरल और कर्नाटक राज्य सरकारों को कहा गया है। सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत का आवंटन किया जाता है।

अवार्ड की गई यूएमपीपी और प्रगति पर यूएमपीपी से विद्युत आवंटन **अनुबंध** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1575 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य	अवार्ड की गई यूएमपीपी				चाहू होने वाले यूएमपीपी			
		सासन (एमपी)	मुंद्रा (गुजरात)	तिलैया (झारखंड)	कृष्णापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	बेदाबहल (ओडिशा)	चेय्यूर (तमिलनाडु)	बांका (बिहार)	देवघर (झारखंड)
1	दिल्ली	450	-	150	-	-	-	-	-
2	उत्तर प्रदेश	500	-	650	-	300	300	600	-
3	उत्तराखंड	100	-	-	-	200	-	-	-
4	पंजाब	600	500	450	-	500	200	-	-
5	राजस्थान	400	400	250	-	400	-	-	-
6	हरियाणा	450	400	200	-	400	-	-	200
7	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मध्य प्रदेश	1500	-	200	-	400	-	-	-
10	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	200	-	-	-
11	गुजरात	-	1900	300	-	*	-	-	1000
12	महाराष्ट्र	-	800	300	800	-	400	-	200
13	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-
14	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
15	दादर व नागर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
16	कर्नाटक	-	-	-	800	-	800	400	300
17	तमिलनाडु	-	-	-	800	300	1600	-	600
18	केरल	-	-	-	-	-	300	-	200
19	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	-	-	-	1600	-	400	-	-
20	पुडुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-
21	ओडिशा	-	-	-	-	1300	-	-	-
22	झारखंड	-	-	1000	-	-	-	1000	1500
23	बिहार	-	-	500	-	-	-	2000	-
24	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-
25	असम	-	-	-	-	-	-	-	-
26	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
29	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
30	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-
31	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1594

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

डीडीयूजीजेवाई

1594. प्रो. रिचर्ड हे:

- श्रीमती भावना पुडलिराव गवली:
श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री मानशंकर निनामा:
योगी आदित्य नाथ:
श्रीमती रेखा वर्मा:
श्रीमती पूनम बेन माडम:
श्री जुगल किशोर:
श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह:
श्री संजय मिश्रा टेनी:
श्री आलोक संजर:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
श्री बहादुर सिंह कोली:
श्री इन्नीसेन्ट:
डॉ. किरीट पी. सोलंकी:
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री वी. एलुमलाई:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
कुमारी सुष्मिता देव:
श्री कमल नाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत आबंटित जारी और व्यय की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) योजना के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और निर्धारित लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कारण हैं;

- (ग) योजना के अंतर्गत कवर किये गये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) और पिछड़े गांवों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
- (घ) क्या जीवीए प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि दौरे से पहले ही गांवों को जीबीए रिपोर्टों में विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या केन्द्र सरकार को योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विलंब के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और देश के सभी गांवों को समयबद्ध तरीके से विद्युतीकरण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये गये हैं;
- (च) क्या रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन, जो कि देश में गांवों के विद्युतीकरण हेतु निधियों के वितरण हेतु जिम्मेदार है, ने राज्यों और उनकी वितरण कंपनियों को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु केन्द्रीय निधियों के उपयोग की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान करने को कहा है; और
- (छ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यों और उनकी वितरण कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिले को निधियों का कोई अपफ्रंट आवंटन नहीं किया जाता है। निधियां संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए, पिछली किस्त की राशि का प्रयोग किए जाने की सूचना तथा अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आरई घटक सहित डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संवितरित राज्यवार निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, 18,452 गैर-विद्युतीकृत गाँव थे। इनमें से, दिनांक 31.10.2016 की स्थिति के अनुसार, 10,628 गाँव विद्युतीकृत किए गए हैं। वर्ष-वार तथा राज्य-वार लक्ष्य **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ग) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने के लिए कुल 427 लाख गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) घर शामिल हैं। राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, पिछड़े गाँवों सहित सभी गाँवों को विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) : गाँवों के विद्युतीकरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़ों की रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों तथा राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा दी जाती है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के प्रचालनीकरण की नोडल एजेंसी होने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने

ग्राम विद्युत अभियंताओं (जीवीए) की तैनाती की है जो गाँवों का दौरा करते हैं तथा स्थिति की रिपोर्ट देते हैं। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो आरईसी द्वारा राज्यों/डिस्कॉमों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति में सुधार करें।

(ड) : डीडीयूजीजेवाई परियोजनाओं के पूरा होने में वन एवं रेलवे स्वीकृतियों में विलंब, 33/11 केवी उप-केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) मुद्दों, बीपीएल सूचियां प्रदान करने, नक्सल समस्या सहित कानून एवं व्यवस्था संबंधी मुद्दों तथा कुछ राज्यों में दुर्गम क्षेत्र के कारण कुछ विलंब हुआ। यदि विलंब संविदाकारों के कारण हुआ हो तो संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संविदाकारों पर, मौजूदा नियमों के अनुसार दण्ड लगाया जाता है। केंद्र तथा राज्य स्तर पर बहु-स्तरीय निगरानी तंत्र तैयार किया गया है।

(च) और (छ) : डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को, वित्तीय वर्ष के दौरान आरईसी से निधियों की प्राप्ति तथा ऐसी प्राप्तियों से यूटिलिटी द्वारा किए गए व्यय से संबंधित लेखाओं की लेखा परीक्षा स्वतंत्र सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा करवाना तथा आगामी वर्ष की 30 जून तक आरईसी को रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करना होता है। तदनुसार, आरईसी ने डीडीयूजीजेवाई की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से इसका अनुपालन किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1594 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरई घटक को शामिल करते हुए डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार सब्सिडी

रुपए लाख में

क्रम सं.	राज्य का नाम	2013-14 के दौरान जारी की गई कुल सब्सिडी	2014-15 के दौरान जारी की गई कुल सब्सिडी	2015-16 के दौरान जारी की गई कुल सब्सिडी	2016-17 के दौरान जारी की गई कुल सब्सिडी (31.10.2016 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश		1897	1962	7194
2	अरुणाचल प्रदेश	494	6034	3098	2340
3	असम	1896	11462	33801	10200
4	बिहार	84813	148980	71022	48664
5	छत्तीसगढ़	4335	8111	24731	2002
6	गुजरात	753	1236	5779	
7	हिमाचल प्रदेश			2835	
8	जम्मू व कश्मीर	3509			
9	झारखंड		942		31296
10	कर्नाटक	3982	2596	3896	2833
11	केरल	2117	1537		7499
12	मध्य प्रदेश	11526	35198	43483	9409
13	महाराष्ट्र	0		4327	2292
14	मणिपुर	2980	8766	704	
15	मेघालय	1813			
16	मिजोरम	4090		1860	96
17	नागालैंड	717		4831	717
18	ओडिशा	252	1553	51423	41969
19	राजस्थान	312		25252	10371
20	सिक्किम	1629			
21	तमिलनाडु	578		8262	
22	तेलंगाना	692	344	533	
23	त्रिपुरा		4819	4938	1013
24	उत्तर प्रदेश	106106	112107	123766	45702
25	उत्तराखंड			7121	
26	पश्चिम बंगाल	5171	14503	30519	6172

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1594 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में गैर-विद्युतीकृत गांवों, जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाना है, की राज्य-वार संख्या

31.10.2016 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य	गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या (01.04.2015 की स्थिति के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17		वित्तीय वर्ष 2017-18
			उपलब्धि	लक्ष्य	31.10.2016 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	लक्ष्य
1	अरुणाचल प्रदेश	1578	174	1039	171	365
2	असम	2892	942	1377	789	573
3	बिहार	2747	1754	735	258	258
4	छत्तीसगढ़	1080	405	500	116	175
5	हिमाचल प्रदेश	35	1	34	27	0
6	जम्मू व कश्मीर	134	27	79	5	28
7	झारखंड	2525	750	1314	529	461
8	कर्नाटक	39	0	39	7	0
9	मध्य प्रदेश	472	214	191	133	67
10	मणिपुर	276	75	149	37	52
11	मेघालय	912	1	674	657	237
12	मिजोरम	58	16	42	22	0
13	नागालैंड	82	0	82	22	0
14	ओडिशा	3474	1264	1586	424	624
15	राजस्थान	495	163	246	183	86
16	त्रिपुरा	26	9	17	6	0
17	उत्तर प्रदेश	1529	1305	166	131	58
18	उत्तराखंड	76	0	76	3	0
19	पश्चिम बंगाल	22	8	14	0	0
कुल		18452	7108	8360	3520	2984

लोक सभा में दिनांक 24.11.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1594 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई : बीपीएल घरों की कवरेज का राज्य-वार सारांश		
क्रम सं.	राज्य का नाम	बीपीएल घर कवरेज
1	आंध्र प्रदेश	2457287
2	अरुणाचल प्रदेश	74679
3	असम	1794604
4	बिहार	10660852
5	छत्तीसगढ़	1448997
6	गुजरात	848005
7	हरियाणा	257902
8	हिमाचल प्रदेश	19578
9	जम्मू व कश्मीर	142885
10	झारखंड	2367897
11	कर्नाटक	1036966
12	केरल	192919
13	मध्य प्रदेश	3209701
14	महाराष्ट्र	1621836
15	मणिपुर	137525
16	मेघालय	121758
17	मिजोरम	30643
18	नागालैंड	98616
19	ओडिशा	4499998
20	पंजाब	92988
21	राजस्थान	1791657
22	सिक्किम	13601
23	तमिलानाडु	526468
24	तेलंगाना	1125306
25	त्रिपुरा	208732
26	उत्तर प्रदेश	5212392
27	उत्तराखंड	238404
28	पश्चिम बंगाल	2480034
	सकल योग	42712446

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1599

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत उत्पादन

1599. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री राजीव सातव:

कुँवर भारतेन्द्र सिंह:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धनंजय महाडीक:

डॉ. जे. जयवर्धन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्पादित ताप-विद्युत की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या ताप विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता की आधे से भी कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह भी चेतावनी दी है कि आगामी कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अप्रत्याशित वृद्धि ताप-विद्युत संयंत्रों को बुरी तरह प्रभावित करेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विद्युत की अधिक उपलब्धता के लिए अधिक विद्युत-उत्पादन हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : देश में वर्ष 2016-17 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान 568.85 बिलियन यूनिट ताप विद्युत का उत्पादन किया गया था।

(ख) : वर्ष 2016-17 (अप्रैल-अक्तूबर, 2016) के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों (कोयला/लिग्नाइट) का औसत संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) 59.17% था। तथापि, वर्ष 2016-17 (अप्रैल-अक्तूबर, 2016) के दौरान गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए पीएलएफ 23.59% था।

(ग) और (घ) : जी नहीं।

(ङ) : अधिक विद्युत उत्पादित करते हुए देश को विद्युत बहुल्य बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्तूबर, 2016 तक पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 88,928.2 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की गई तथा 30 सितम्बर, 2016 तक नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में लगभग 21,128 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हासिल की गई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है।
- (iii) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 31 अक्तूबर, 2016 तक 1,07,440 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन की तुलना में 1,00,468 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,82,750 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के लक्ष्य की तुलना में 2,88,458 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पूरी की गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों की साझेदारी से सभी को 24x7 विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानियों को कम करने के लिए कृषि फीडर्स को पृथक करने हेतु भारत सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉम के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय बदलाव के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंड गैस आधारित उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता मुहैया कराते हुए एक योजना की शुरुआत की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1605

जिसका उत्तर 24 नवंबर, 2016 को दिया जाना है ।

निजी डिस्कॉम के बीच उचित प्रतिस्पर्धा

1605. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

श्री राम टहल चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निजी विद्युत वितरण कंपनियों को उचित प्रतिस्पर्धा प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या निजी विद्युत कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में कम से कम तीन निजी विद्युत वितरण कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निजीकरण का मुख्य सिद्धांत है, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाया जाना प्रस्तावित है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के छोटे परंतुक के अंतर्गत, समुचित आयोग, कुछ शर्तों के अध्यक्षीन एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण हेतु दो या अधिक व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। समुचित आयोग खुदरा उपभोक्ताओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण सहित वितरण लाइसेंसियों की गतिविधियों का भी नियमन करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में मुंबई, महाराष्ट्र में बहुसंख्या अनुज्ञप्तिधारी प्रचालनरत हैं।

(ग) और (घ) : एक ही कंपनी के एकाधिकार को हतोत्साहित करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था करने और आपूर्ति की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उपभोक्ताओं को विकल्प देने के लिए, दिनांक 19 दिसंबर, 2014 को लोकसभा में लाए गए विद्युत (संशोधन) विधेयक 2014 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में बहुसंख्या अनुज्ञप्तिधारियों की व्यवस्था की गई है, जबकि वितरण प्रणाली उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास होगी।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए, विद्युत की खुदरा बिक्री हेतु प्रशुल्क विनियामक के माध्यम से सीमित किया जाना प्रस्तावित है और एक आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी होना प्रस्तावित है।
